

म
08/10/21

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

मज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

मुकदमा नं० 46 LPM

बनाम

सरकार

52

सन् 2021

विरम मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मथ इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
8/10/2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>सोनी</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गा.सं.अ./2021/ दिनांक <u>8/10/21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>6/8 LPM</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>46 LPM</u> की जमाबंदी सम्बत <u>2075-2078</u> के खाता सं. <u>9</u> में <u>गुलाब सिंह</u> <u>अज्ञात विट जाति मन्नागिया ला-</u> <u>देखतेरा वरि है।</u> के स्थान पर <u>घातेरा गुलाब सिंह अज्ञात पत्र</u> <u>विट जाति सोनी तरखान</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>सोनी</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>46 LPM</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2075-2078</u> के खाता सं. <u>9</u> में <u>गुलाब सिंह</u> <u>अज्ञात विट जाति मन्नागिया दे</u> <u>घातेरा</u> के स्थान पर <u>गुलाब सिंह अज्ञात विट जाति</u> <u>तरखान ला- दे देखतेरा</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम मे सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
मुकदमा-6/8 LPM

